

# 4 तयालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाडी

निर्णय दिनांक 25/01/2018

मु.नं. 90/2018

उनवान:- रकबा 40 एकड़

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का सर्कलवाड़ ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 488 रकबा 1-15 किरम घारागाह

बारे ग्राम काडकड़ा पर श्रीमती सावित्री पुत्र राजचंद

जाति कोथ निवासी काडकड़ा तहसील बाडी

ने सन्बर 2024 रबी/खरीफ में फसल 1-15 की 0-15 कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी नहीं आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी श्रीमती सावित्री पुत्र राजचंद

जाति कोथ निवासी काडकड़ा को आ. ख. नं. 488

रकबा 1-15 वारे ग्राम काडकड़ा से तुरन्त प्रभाव से

बेदखल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 394 (अक्षरे

रूपेय 394 आरोपित की जाती है। पैन्लटी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे। TRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफतर है।

फैसला आल दिनांक 25/01/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

तयालय  
तहसीलदार  
तहसील बाडी (लेखपुर) राज.

394-4  
पति राशि  
पति के पक्ष में  
की के पक्ष में  
2018  
पटवारी